

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)
Monday, 05 March 2018/ 14, Phalgun, 1939 (*Saka*)

No.119

COMMENCEMENT OF SEVENTH SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Seventh session of Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Friday, 16 March, 2018 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the first Session of the year, Hon`ble Lt. Governor shall address the Assembly on **16 March, 2018, at 11.A.M.** Hon`ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.50 AM.

Ten minutes after L.G`s departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING SEVENTH SESSION:

Sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 16,19,20,21,22,23,26,27 & 28 March 2018. Subject to the exigencies of business the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

Except on 16 March 2018, the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day. The quorum bell will be rung at 1.55 P.M. to enable Members to take their seats.

On 16 March 2018, the sitting of the House will commence 30 minutes after conclusion of the Hon'ble Lieutenant Governor's Address. As mentioned above, the Hon'ble Lt. Governor shall address the Assembly on 16 March 2018 at 11.00 A.M..

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Seventh Session will be received with immediate effect.

As per the direction of Hon'ble Speaker question hour will be held on 19,20,21,22,23,26,27 & 28 March 2018.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SEVENTH SESSION (RULE 37):

For the Seventh session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

Sl. No.	Group Of Departments	Date of Sitting	Last Date for receipt of questions for the Departments in Col.2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding balloting for determination of priority for Oral Questions (At 5.00 PM)
1.	Administrative Reforms	19.03.2018 Monday	06.03.2018 Tuesday	06.03.2018 Tuesday
	Development			
	Education	&	&	&
Employment	23.03.2018 Friday	09.03.2018 Friday	09.03.2018 Friday	
Higher Education				
Information Technology				
Irrigation & Flood Control				
Law, Justice & Legislative Affairs				
Power				
Revenue				
Training and Technical Education				
Vigilance				

2.	Cooperative DUSIB Election Environment, Forest and Wildlife Excise Finance Food and Supplies Planning Trade and Taxes Urban Development	20.03.2018 Tuesday	07.03.2018 Wednesday	07.03.2018 Wednesday
		&	&	&
		26.03.2018 Monday	13.03.2018 Tuesday	13.03.2018 Tuesday
3.	Family Welfare Food Safety General Administration Department Home Industries Jail Labour Land and Building Medical and Public Health PWD Transport	21.03.2018 Wednesday	08.03.2018 Thursday	08.03.2018 Thursday
		&	&	&
		27.03.2018 Tuesday	14.03.2018 Wednesday	14.03.2018 Wednesday
4.	Art, Culture & Languages Gurudwara Elections & Administration Information and Publicity Services Social Welfare Tourism Water (DJB) Welfare of SC/ST/OBCs/Minorities Women and Child Development	22.03.2018 Thursday	09.03.2018 Friday	09.03.2018 Friday
		&	&	&
		28.03.2018 Wednesday	15.03.2018 Thursday	15.03.2018 Thursday

Note:

- (1) A member may give notice of only five questions for a given day {Rule 36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii))}.
- (3) Members may kindly note that if notice of question is received after the prescribed deadline such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.
- (4) Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (5) The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received.
- (6) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (7) Balloting will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (8) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure & Conduct of Business for further details.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE-280:

As per direction of Hon'ble Speaker, Members who want to raise matters under Rule-280 may give notice of the same by **05.00 P.M on the date preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised.** Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at **12.00 Noon** on the day on which it is proposed to be raised. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any disallowed deviation will be treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sitting of the House to be held on Friday the 23 March 2018 has been allotted for Private Members Business.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions for **Friday the 23 March 2018 is 09 March 2018 up to 3.00 P.M.** The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows:
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day.
 - (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.
- (b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office. **THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46.**
- (c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.
- (d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.
- (e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITORS' GALLERY: Direction of Hon'ble Speaker regarding issue of Gallery Passes conveyed vide Bulletin Part-II No.105 dated 29 June, 2017 is enclosed for reference of Hon'ble Members.

NOTE:- CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

Secretary

THE SEVENTH SESSION OF SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY

Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	16 March 2018	Friday	L.G Address Government Business
2.	17 March 2018	Saturday	Holiday
3.	18 March 2018	Sunday	Holiday
4.	19 March 2018	Monday	Government Business
5.	20 March 2018	Tuesday	Government Business
6.	21 March 2018	Wednesday	Government Business
7.	22 March 2018	Thursday	Government Business
8.	23 March 2018	Friday	Private Members' Business
9.	24 March 2018	Saturday	Holiday
10.	25 March 2018	Sunday	Holiday
11.	26 March 2018	Monday	Government Business
12.	27 March 2018	Tuesday	Government Business
13.	28 March 2018	Wednesday	Government Business

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 05 मार्च, 2018 / 14 फाल्गुन, 1939 (शक)

संख्या- 119

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की छठी विधान सभा के सातवें सत्र का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा का सातवाँ सत्र **शुक्रवार, दिनांक 16 मार्च, 2018 को विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054** में प्रारंभ होगा।

उपराज्यपाल का अभिभाषण:

यह वर्ष का प्रथम सत्र है, अतः माननीय उपराज्यपाल 16 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा सचिवालय सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-54 में सदस्यों को संबोधित करेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.50 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें।

माननीय उपराज्यपाल के प्रस्थान के 10 मिनट उपरांत सदन की विधिवत गठित बैठक अपना कार्य आरंभ करेगी।

सातवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आबंटन :

कार्य निष्पादन के लिए विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 एवं 28 मार्च 2018 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठकें बढ़ायी जा सकती हैं।

बैठक का समय :

दिनांक 16 मार्च, 2018 के अतिरिक्त विधान सभा की बैठक अपराह्न 02.00 बजे से प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए। सदस्यों को अपने स्थान ग्रहण करने के लिए अपराह्न 01:55 पर गणपूर्ति घंटी बजेगी।

दिनांक 16 मार्च, 2018 को सदन की बैठक माननीय उपराज्यपाल के संबोधन के 30 मिनट बाद आरंभ होगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख है माननीय उपराज्यपाल 16 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सदन को सम्बोधित करेंगे।

प्रश्नों की सूचनाएँ:

छठी विधान सभा के सातवें सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएँ तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी। माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रश्नकाल दिनांक 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, एवं 28 मार्च, 2018 को होगा।

सातवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा सातवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:-

क्रम सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अप. 03.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे तक)
1	2	3	4	5
1.	प्रशासनिक सुधार, विकास, शिक्षा, रोजगार, उच्च शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, विधि न्याय एवं विधायी मामले, ऊर्जा, राजस्व, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सर्तकता,	19 मार्च, 2018 सोमवार	06 मार्च, 2018 मंगलवार	06 मार्च, 2018 मंगलवार
		एवं	एवं	एवं
		23 मार्च, 2018 शुक्रवार	09 मार्च, 2018 शुक्रवार	09 मार्च, 2018 शुक्रवार
2.	सहकारिता, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, निर्वाचन, पर्यावरण, वन एवं वन्यजीवन, आबकारी, वित्त, खाद्य एवं आपूर्ति, योजना, व्यापार एवं कर, शहरी विकास	20 मार्च, 2018 मंगलवार	07 मार्च, 2018 बुधवार	07 मार्च, 2018 बुधवार
		एवं	एवं	एवं
		26 मार्च, 2018 सोमवार	13 मार्च, 2018 मंगलवार	13 मार्च, 2018 मंगलवार

3	परिवार कल्याण, खाद्य संरक्षण, सामान्य प्रशासन विभाग, गृह, उद्योग, जेल, श्रम, भूमि एवं भवन, चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, परिवहन	21 मार्च, 2018 बुधवार	08 मार्च, 2018 वीरवार	08 मार्च, 2018 वीरवार
		एवं	एवं	एवं
		27 मार्च, 2018 मंगलवार	14 मार्च, 2018 बुधवार	14 मार्च, 2018 बुधवार
4.	कला, संस्कृति एवं भाषा, गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन, सूचना एवं प्रचार, सेवाएं, समाज कल्याण, पर्यटन, जल अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास	22 मार्च, 2018 वीरवार	09 मार्च, 2018 शुक्रवार	09 मार्च, 2018 शुक्रवार
		एवं	एवं	एवं
		28 मार्च, 2018 बुधवार	15 मार्च, 2018 वीरवार	15 मार्च, 2018 वीरवार

टिप्पणी :-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा {नियम-36 (I)}।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए {नियम-31 (xxii)}।
3. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दर्शाये गए यदि किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3.00 बजे तक है।
4. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएँ प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
6. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
7. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (कमरा नं० 54) में दिये गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
8. माननीय सदस्यों से अनुरोध है विस्तृत जानकारी के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अध्याय -VII का अवलोकन करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य **नियम 280** के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना मामला उठाने की **तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 05.00 बजे** तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग बैठक के दिन **मध्याह्न 12.00 बजे** सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु माननीय सदस्यों का स्वागत है।

माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिए शुक्रवार, 23 मार्च, 2018 की तिथि निर्धारित की गई है।

शुक्रवार 23 मार्च, 2018 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि **09 मार्च, 2018 को अपराह्न 3.00 बजे** तक है, जिसके लिए बैलेटिंग उसी दिन अपराह्न 4.30 बजे सचिव के कक्ष में संपन्न होगी। माननीय सदस्य बैलेटिंग में भाग लेने के लिए आमंत्रित हैं।

नोटिसों की प्रक्रिया :

(क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम-258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है:-

1. नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जाएगी तथा सूचना शाखा कार्यालय में ही इस प्रयोजन के लिये प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के दौरान दी जायेगी।
2. सूचना कार्यालय में उप नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं; अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेंगी।

- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए। **नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है।**
- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।
- (घ) विधान सभा का नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा सचिवालय के किसी अन्य अधिकारी/ शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिए गए नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।
- (ङ.) माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस शाखा कार्यालय समय के दौरान खुली रहेगी।

दर्शक- दीर्घा:

दिनांक 29 जून, 2017 को जारी समाचार भाग-2 (संख्या 105) में माननीय अध्यक्ष द्वारा दर्शक- दीर्घा के प्रवेश -पत्र बनाने के लिए दिये गए निर्देश, माननीय सदस्यों के सूचनार्थ संलग्न हैं।

टिप्पणी:

कृपया सेलुलर फोन, पेजर,या अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

सचिव

छठी विधान सभा का सातवाँ सत्र

बैठकों का अस्थायी कैलेण्डर

बैठक	तिथि	दिन	कार्य
1.	16 मार्च 2018	शुक्रवार	उपराज्यपाल का संबोधन सरकारी कार्य
2.	17 मार्च 2018	शनिवार	अवकाश
3.	18 मार्च 2018	रविवार	अवकाश
4.	19 मार्च 2018	सोमवार	सरकारी कार्य
5.	20 मार्च 2018	मंगलवार	सरकारी कार्य
6.	21 मार्च 2018	बुधवार	सरकारी कार्य
7.	22 मार्च 2018	वीरवार	सरकारी कार्य
8.	23 मार्च 2018	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
9.	24 मार्च 2018	शनिवार	अवकाश
10.	25 मार्च 2018	रविवार	अवकाश
11.	26 मार्च 2018	सोमवार	सरकारी कार्य
12.	27 मार्च 2018	मंगलवार	सरकारी कार्य
13.	28 मार्च 2018	बुधवार	सरकारी कार्य

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General Information relating to legislative & other matters)
Thursday, 29 June, 2017/8 Aashaadh, 1939 (Shaka)

No. 105

Subject: "Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes".

The Directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are hereby reiterated for the kind information of the Hon'ble Members:-

1. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
2. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
3. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
4. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required.
5. The seating Capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
6. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

**Prasanna Kumar Suryadevara
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग -2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
बृहस्पतिवार, 29 जून, 2017 / 08 आषाढ़, 1939 (शक)

सं. 105

विषय: "दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश"

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देश माननीय सदस्यों की सूचना हेतु पुनः जारी किये जाते हैं:-

1. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
2. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक स्वीकार न किया जायेगा जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
3. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. दर्शक दीर्घा के पास जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए पास चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 5:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं।
5. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
6. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

**प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव**